



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]
No. 390]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 1989/श्रावण 4, 1911
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 1989/SRAVANA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई 1989

भा. का. नि. 716 (अ).—केन्द्रीय सरकार तारकोटिक्म शोध तथा साइकोट्रापिक
तत्त्व अधिनियम, 1988 (1988 का 46) में श्रवण व्यापार निवारक की धारा 9 के
खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 843 (ई) तारीख

7 सितम्बर, 1988 को प्रतिष्ठित करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

प्राध्यक्ष—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. एन. गोस्वामी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय सदस्य—

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. एल. जैन, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय

3. माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश चन्द्र, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

[फ. सं. 674/1/89 सी. ए. 8]

कुलदीप सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1989

G.S.R. 716(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G. S. R. 843(E), dated 7th September, 1988, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :—

CHAIRMAN

1. Hon'ble Mr. Justice N. N. Goswamy, Judge of the Delhi High court.

MEMBERS

2. Hon'ble Mr. Justice M. L. Jain, Retired Judge of the Delhi High Court.

3. Hon'ble Mr. Justice Jagdish Chandra, Retired Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 674/1/89-Cus. VIII]
KULDIP SINGH, Under Secy.